//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 3/2025

उनवान

पारस पुत्र महावीरप्रसाद जाति जैन निवासी ग्राम गणेश क्लोथ स्टोर, तालेडा जिला बुन्दी
——— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र कल्याण जाति जाट,
2. रामदेव पुत्र कल्याण जाट ,
3. रामधन पुत्र भोलू जाट,
4. अंजूलता पुत्री छितरमल रेगर ,
5. कैलाश पुत्र सुगना रेगर,
6. ग्यारसी पत्नि छितरमल रेगर,
7. नंदकिशोर पुत्र छितरमल रेगर ,
8. रीना पुत्री छितरमल रेगर,
9. सुनिता पुत्री छितरमल रेगर,
10. सोनू पुत्री छितरमल रेगर,
11. रिद्धकरण पुत्र सुवा जाति जाट नि.मोराझडी नसीराबाद
12. सांवल
13. सोदान पि. हरचन्द जाति जाट निवासी ग्राम सूरजपुरा, नसीराबाद
14. मेनेजर, बैंक आफॅ बडौदा शाखा रामसर, नसीराबाद
15. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 3 व 11 से 13 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
15 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 17.6.25

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नं 1934 रकबा 0.32 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1934/2261, 1930/2610, 1931/2649, 1933/2648, 1977/2399, 1956/2401, 1957/2400 अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की खातेदारी व सिवायचक का उपयोग करता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास आवागमन हेतु कोई अन्य मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को 30 फिट चौडा [illegible] उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी [illegible] नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 11 से 13 को [illegible] के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद कि[illegible] नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

गयी। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम मोराझडी के हाल खसरा नं हाल खसरा नं 1934 रकबा 0.32 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1934/2261, 1930/2610, 1931/2649, 1933/2648, 1977/2399, 1956/2401, 1957/2400 अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की खातेदारी व सिवायचक है। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण व सिवायचक आराजी में से वर्तमान में सुस्पष्ट आवागमन हो रहा है। उक्त खसरो की आकृति रास्तेनुमा बनी हुयी है। मौके पर रास्तों के उपयोग में आ रही है, जिस पर ग्रेवल कार्य हो रखा है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही होना बताया गया है।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि मौके पर खसरा नम्बर 1934/2261, 1930/2610, 1931/2649, 1933/2648, 1977/2399, 1956/2401, 1957/2400 व 1908/2047 में रारस्ता बना हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। रास्ते पर ग्रेवल कार्य भी हुआ है। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के बदले नियमानुसार मुआवजा राशि भी दी जावेगी। प्रार्थी को रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्ध होती है। मौके पर उक्त खसरा नम्क्बर का सम्पूर्ण रकबा मार्ग के रूप में काम आ रहा है तथा पूर्ण रकबे पर रास्ता पूर्व में ही बना है। किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा नम्बर मार्ग/रास्तें के रूप में अंकित नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र पेश किया मौके पर पूर्व में स्थित रास्ते को सिवायचक खाते में दर्ज करने से भविष्य में मार्गधिकार को ले कर कोई विवाद भी नही होगे।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम मोराझडी के खसरा नम्बर 1934/2261, 1930/2610, 1931/2649, 1933/2648, 1977/2399, 1956/2401, 1957/2400 व 1908/2047 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद निम्न सूची में अंकन अनुसार सबंधित खातेदार/सिवायचक के खातें में मुआवजा राशि भुगतान होने के बाद निम्न खसरा नम्बर की आराजी गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व अभिलेख के सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे।

खसरा नम्बर	कुल रकबा	सिवायचक/खातेदारी	मार्ग के लिये रकबा	मुआवजा राशि
1930/2610	0.08	सिवायचक	0.08	32048
1931/2649	0.11	खातेदारी	0.11	44066
1933/2648	0.06	खातेदारी	0.06	24036
1908/2647	0.02	सिवायचक	0.02	8012
1977/2399	0.10	खातेदारी	0.10	40060
1957/2400	0.21	सिवायचक	0.21	84126
1956/2401	0.05	खातेदारी	0.05	20030
1934/2261	0.14	सिवायचक	0.14	56084

पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested